अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 17.5.2012 का कार्यवाही विवरण

कार्यालय नगर परिषद् उदयपुर (राज.)

बैठक संख्याः—14

दिनांकः— 17.05.2012
वार :— गुरूवार
समयः— दोपहर— 3.00 बजे

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण।

आज दिनांक 17.05.2012 दोपहर 3.00 बजे समिति की बैठक समिति अध्यक्षा श्रीमति रजनी डांगी की अध्यक्षता में आरंभ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः—

1.	श्री फूल सिंह मीणा	सदस्य
2.	श्री राजेश जैन	सदस्य
3.	श्री महोम्मद खलील	सदस्य
4.	श्रीमति अर्चना शर्मा	सदस्य
5.	श्री मुस्लिम अली बंदुकवाला	सदस्य
6.	श्री सत्यनारायण आचार्य	आयुक्त एवं सदस्य सचिव
7.	श्री सर्मथ बाबेल	सहायक अभियंता
8.	श्री चतर सिंह	सहायक अभियंता
9..	श्री करीमुद्धीन	सर्वेयर

सर्वप्रथम समिति अध्यक्षा श्रीमती रजनी डांगी द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया ओर दिनांक 10.04.2012 की बैठक संख्या 13 की पुष्टि की गई। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही एजेण्डा अनुसार आंरभ की गई।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में/नियमन/नामान्तरण /लीज डीड के संबंधी पत्रावलियों पर विचार विमर्श किया व समिति द्वारा बैठक से पूर्व स्थल निरीक्षण किये गये तथा मौके पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। परिषद के आयुक्त एवं सदस्य सचिव द्वारा नियमन, नामांनतरण, लीज डीड विचाराधिन पत्रावलियों को समिति के समक्ष रख कर विस्तृत जानकारी दी गई। समिति में उपनगर नियोजक व सहायक अभियंता एवं दोनो सर्वेयर उपस्थित थे जिनके साथ समिति के सदस्यों द्वारा भी मौका देखा जाने पर तकनीकी राय से भी अवगत कराया।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 17.5.2012 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	भूखंड संख्या का ना	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
1.	23, हिरण मगरी से नं. 11, उदयपुर	श्री राकेश कुमार पिता श्री महेश चन्द्र शाह	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री पुरूषोत्तम शर्मा के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी ने स्वीकृति विरूद्ध प्रथम तल मय निकासु रचना को शामिल मिलाते हुए निर्माण किया। जिसका नियमन चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि पूर्व की भांति उक्त योजना के सम्बन्ध में वरिष्ठ नगर नियोजक से राय लेते हुए बोर्ड की साधारण सभा की बैठक में रखा जावे।
2.	19, हिरण मगरी से नं. 4, उदयपुर	श्री महासती, कुसुमवती जी चेरिटेबल ट्रस्ट	प्रार्थी ने उक्त भूखंड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्रीमति राधा देवी जीनगर के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी ने गैराज की जगह कमरें का निर्माण कर किया है। जिसका नियमन चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि गैराज की जगह कमरे का निर्माण करने की शास्ती 5000/– रूपये वसूल करते हुए नियमन किया जावे।
3.	123, अशोकनगर, उदयपुर	श्री सुनील कुमार चित्तौडा पिता स्व. मोहन लाल	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री मोहन लाल चित्तौडा पिता श्री केसरी मल चिर्ताडा के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड वसीयत से प्राप्त किया है। पूर्व में भूतल पर वाणिज्यिक गतिविंधियां चला रखी थी उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है तथा सेट बेक में किये गये विचलन का नियमन चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 17.5.2012 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	भूखंड संख्या का ना	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
4.	17, अशोकनगर	श्री सतेश्वर कमल नागी, श्री गुरूसेवक सिंह, बलबीर सिंह, तेजेन्द्र सिंह, पिता स्व. प्रितम सिंह जी	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री प्रितम सिंह पिता वरीयाम सिंह के नाम पर है, प्रार्थीं ने उक्त भूखंड/भवन वारीसान से प्राप्त किया है। प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति निर्माण तथा सेट बेक में किये गये निर्माण का नियमन चाहा है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति किये निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से तथा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।
5.	82, पंचवटी, उदयपुर	श्री खेत सिंह पिता विरेन्द्र सिह	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री राजेन्द्र सिंह के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन वसीयत के आधार पर प्राप्त किया है। प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति निर्माण तथा सेट बेक में किये गये निर्माण का नियमन चाहा है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा भूखंड के रेडियस (गोलाई) को भवन में शामिल कर लिया है। अतः सर्वप्रथम रेडियस में बनी बाउण्ड्री को तोडकर गोलाई में दिवार बना फोटो प्रस्तुत करे। फोटो प्रस्तुत करने के पश्चात् सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से तथा बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 17.5.2012 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	भूखंड संख्या का ना	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
6.	भ.अ / 55 / 11–12 प्लाट नं. 992, ज्ञान नगर, हिरण मगरी से नं. 4, उदयपुर	श्रीमति शीला कोठारी पति मांगी लाल कोठारी	मौके पर प्रार्थी द्वारा पूर्व में किये गये नियमन के अलावा साईड सेट बेक में बाउण्ड्री वाल पिल्लर बना पोर्च का निर्माण किया गया। जिसको नियमन करवाना चाहते है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में किये गये नियमन के अलावा प्रार्थी द्वारा पुनः नियम विरूद्ध साईड सेट बेक में बाउण्ड्री वाल पर पिल्लर बना आर सी सी पोर्च का निर्माण किया गया जिससे पडोसी की हवा रोशनी पर फर्क पडता है। अतः निर्णय लिया गया कि पूर्व में किये गये नियमन के अलावा किये गये निर्माण को गिराकर फोटो प्रस्तुत करने पर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।
7.	भ.अ / 251 / 09–10 690, जैन बोर्डिंग मार्ग, धानमंडी उदयपुर	श्री निरंजन कुमार पिता पुरूषोत्तम लाल साहू	मौके पर भूतल + तीन मंजिल भवन बना हुआ है। पूर्व में उक्त स्थल पर परिषद् द्वारा पूर्व में भूतल + प्रथम तल जिसमें सडक की ओर 2′–0′′ निकासु खुला रोस रखते हुए आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति भ. अ / 251 / 09–10 के तहत दी गई थी तथा उक्त क्षैत्र का भू उपयोग परिवर्तन आवासीय से वाणिज्यिक में परिषद् द्वारा दिये गये आदेश संख्या भू.उ.प / न. पउ / 13 / 10–11 दिनांक 14.7.11 के तहत किया गया। मौके पर स्वीकृति के विरूद्ध सेकण्ड एवं थर्ड फ्लोर का निर्माण किया गया। जिसमें निकासु रचना 2′–0′′ के बजाय 3′–6′′ बनाया गया। जिसका प्रार्थी द्वारा नियमन कराने हेतू प्रार्थना पत्र मय नक्शें प्रस्तुत किये गये।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि स्वीकृति के विरूद्ध किये गये निर्माण जिसमें सेकण्ड फ्लोर भवन रेख़ा के मध्य किये गये निर्माण की शास्ती राशि लागत की 5 प्रतिशत एवं थर्ड फ्लोर व अतिरिक्त निकासु रचना का निर्माण किया गया। जिसकी शास्ती राशि आवासीय बाजार दर के 20 प्रतिशत से वसूल की जाकर नियमन किया जाता है।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 17.5.2012 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	भूखंड संख्या का ना	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
8.	भ.अ/101/11–12 प्लाट नं. 15, सहेली नगर, पोलो ग्राउण्ड, उदयपुर	मे. ज्योति मनरल्स प्रा. लि जरिये एस. पी. खेतान	मौके पर प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेक में निर्माण किया। भूतल एवं प्रथम तल में निर्माण किया गया है एवं सेट बेक में भी निर्माण किया हुआ है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो स्वीकृति के विरूद्ध भूतल एवं प्रथम तल में निर्माण किया है। सेट बेक छोडकर उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जावे एवं सेट बेक में जो निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जाकर नियमन किया जावे।
9.	भ.अ/316/06–07 144, खेरादीवाडा, उदयपुर	श्री रमेश कुमार पिता सुरजपाल कुरील	मौके पर प्रार्थी का भूतल, प्रथम तल, द्वितिय तल,एवं तृतीय तल (पार्ट) मय निकासू रचना के पूरे क्षैत्र में बना लिया गया है। जिसमे ग्राउण्ड फ्लोर मे शटर भी लगा रखे है। उक्त भवन पश्चिमी सर्वेले से 10′–0′′ आगे निकला हुआ है तथा पूर्वी सर्वेले से 16′–10′′ ईंच निकला हुआ बना है। स्वीकृति का कोई हवाला नहीं है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि आयुक्त महोदय, द्वारा नियमानुसार पत्रावली का अवलोकन कर परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे।
10.	आर.डी.ए. /201/11–12 7, डी, शिवाजीनगर, उदयपुर	श्रीमति हेमलता जैन पति श्री प्रभु लाल जैन	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड संख्या 18 शिवाजी नगर, श्री कन्हैया लाल जी सरूपरिया के नाम पर है।, प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन विक्रय विलेख के आधार पर प्राप्त किया है। प्रार्थी स्वीकृति के अलावा प्रथम तल में किये गये निर्माण का नियमन करवा नामान्तरण करवाना चाहते है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि मौके पर स्वीकृति के अलावा प्रथम तल में किये गये निर्माण की शास्ती राशि लागत की 5 प्रतिशत से वसूल की जावे तथा सेट बेक मेंकिये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल की जाकर नियमन करते हुए नामान्तरण किया जाता है।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति बैठक दिनांक 17.5.2012 का कार्यवाही विवरण

उक्त प्रकरणों में मांग की जाने वाली नियमन राशि इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र जारी होने के 15 दिन में अनिवार्यतः जमा करानी होगी। अन्यथा प्रकरण निरस्त योग्य होंगे। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं कराने वाले प्रकरणों को निर्णयार्थ आगामी समझौता समिति में रखा जावेगा।

आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर

अध्यक्ष
अपराधो का शमन एवं समझौता समिति

कमांकः– नपउ/भ.वि/12–13/

दिनांकः–

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ :–</u>

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग , राज. जयपुर ।
2 श्रीमान् उप निदेशक महोदय, (क्षैत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग , राज. उदयपुर ।
3. श्रीमेान् जिला कलक्टर, उदयुपर।
4. श्रीमान् सभापति /समिति अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद्, उदयपुर।
5. श्री/श्रीमति...समिति सदस्य।
6. सचिव नगर परिषद्, उदयपुर।
7. उप नगर नियोजक, नगर परिषद्, उदयपुर।
8. ....शाखा प्रभारी।
9. निजी सहायक आयुक्त नगर परिषद्, उदयपुर।

आयुक्त
नगर परिषद्, उदयपुर